

**राजस्थान सरकार**  
**सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,**  
**आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।**

क्रमांक :-एफ2(7047)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/50304/2021

जयपुर,दिनांक 13-01-2021


**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

राजस्थान कम्प्युटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

| क्र. सं. | मेरिट न.    | कार्मिक का नाम           | पदस्थापित विभाग   | परीक्षा का नाम   |
|----------|-------------|--------------------------|---|--|
| 1        | 1970        | श्री महेश सिंह           | राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व सम्बद्ध चिकित्सालय, भरतपुर                        | • RPSC, Asst. Professor (College Education) Exam-2020<br>• UGC, NET-June2020 |
| 2        | New IA-2018 | श्री मोहित कुमार तिवाड़ी | कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीना एवं प्रावधानी निधि विभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर | • Uttar Pradesh Legislative Council, Assistant Review Officer, Exam-2020     |
| 3        | New IA-2018 | श्री मनीष शर्मा          | मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर                                  | • MNIT, Assistant Registrar & Scientific/Technical Officer Exam              |

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-


1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणावश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।



(विवेक कुमार)  
 विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं  
 प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।



विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं  
 प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)